Judicial Procedure on Abortion: A Legal Study

गर्भपात संबंधी न्यायिक प्रक्रियाः एक विधिक अध्ययन

षोधार्थी– कु0 प्रज्ञा गुप्ता

षोधर्थी छात्रा स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज एल.एन.सी.टी.विष्वविद्यालय भोपाल (म.प्र.)

षोधनिर्देषिका– डॉ0 सीमा मंडलोई

निर्देषक एवं प्रोफेसर, स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज एल.एन.सी.टी.विष्वविद्यालय भोपाल (म.प्र.)

सारांष

भारत देश में तेजी से बढ़ रहे गैर कानूनी गर्भपात तथा भ्रूण हत्या के मामलो को देखते हुए सरकार द्धारा गर्भपात संबंधित कानून को बनाया गया। जिसके अनुसार महिलाओं को अधिकार प्रदान किया गया कि वह उचित तथा ठोस कारण से वह अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर वैधानिक गर्भपात करवा सकती है।

सरकार द्वारा निर्मित इस कानून को गर्भपात का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 नाम दिया गया। जो महिलाओं को स्वत्रंता प्रदान करता है की वह किसी भी ऐसी स्थिति को देखते हुए जिस कारण उस गर्भवती महिला को अपनी जीवन रक्षा तथा गर्भ में पल रहे बच्चे की स्थिति को देखते हुए गर्भपात कराने का वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है।

प्रस्तावना

गर्भपात की न्यायिक प्रक्रिया से अभिप्राय न्यायालय द्वारा गर्भपात के विरोध में उठाए गए सख्त कदम तथा मामलों को गहनता से अध्ययन करके दोशी व्यक्तियों को भारतीय दण्ड सहिता व गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 के अधीन दण्डित करना और महिलाओं के प्रति हो रहे गर्भपात संबंधित अपराधों पर रोकथाम के लिए अहम व महत्वपूर्ण निर्णय पारित करना और महिलाओं को अपराधों से निजात दिलाना। और **संविधानिक व्यवस्था अनुच्छेद 21 के अनुरूप महिलाओं को जीविन जीने की स्त्रतंत्रा[1] और अनुच्छेद 14 समानता के अधिकारो की पूर्ति कराना।** [2]

अध्ययन का उद्देष्य

अवैधानिक गर्भपात तथा वैधानिक गर्भपात पर न्यायालयों की सक्रिए भूमिका का अध्ययन, विचाराधीन प्रकरणो में गर्भपात का मुख्य कारण, निरस्तारित प्रकरणों में न्यायालय के विचार और अवधारणा। जो एक महिला को किस प्रकार उसके गर्भ के प्रति न्यायिक साबित होता है।

गर्भपात संबंधित मामले

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एच.बी.आई. से ग्रस्त रेप पीड़िता को गर्भपात की मंजूरी प्रदान न करना :– नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट द्वारा 35 वर्श की आयु की रेप पीड़िता एवं एच.बी.आई. महिला का गर्भपात कराने की मंजूरी नही दी गई कोर्ट द्वारा यह निर्णय एम्स की चिकित्सकीय रिपोर्ट आने के बाद दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया की 26 सप्ताह का गर्भ धारण गर्भपात नही हो सकता है। एम्स की चिकित्सकीय रिपोर्ट में यह भी कहा गया की ऐसी स्थिति में महिला का गर्भपात करना उसके जीवन

[1] भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21
[2] भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14

को खतरे में डालना है एवं ऐसी स्थिति भी बन सकती है उसके जीवन से संबंधित कोई गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। क्योकि महिला रेप पीड़िता भी है साथ ही साथ एच.आई.बी. से भी ग्रस्त है।[3]

भ्रूण में विकृति को खत्म करने की अनुमति दीः– केरल हाई कोर्ट द्वारा एक फैसले में कहा गया की गर्भधारण से जुड़ा फैसला करने में महिला की आजादी नही छीनी जा सकती है। कोर्ट न साथ ही मानसिक रूप से कमजोर एक महिला को भ्रूण में विकृति के कारण उसके 22 हफ्ते के गर्भ को खत्म करने की अनुमति दी। हाईकोर्ट ने कहा की एक मॉ को पूरा अधिकार है कि वह यह तय कर सके की बच्चा किसी जन्मजात बिमारी के साथ इस दुनिया में पैदा हो या नही।[4]

कोर्ट द्वारा 10 वर्श की रेप पीड़िता को मंजूरी प्रदान न करनाः– (चंडीगढ़) जिला अदालत द्वार 10 वर्श की रेप पीड़िता को गर्भपात की मंजूरी प्रदान नही की गई इस बच्ची का 26 सप्ताह का गर्भधारण था। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम के तहत् कोर्ट द्वारा 20 सप्ताह के भ्रूण को गिराने की मंजूरी प्रदान करने का अधिक है। ऐसी स्थिति में जहां भ्रूण के असमान्य स्थिति प्रकट होने पर 20 सप्ताह के पष्चात् भी गर्भपात की मंजूरी प्रदान कर सकता है।[5]

न्यायालय में गर्भपात से संबंधित विचाराधीन/निस्तारित प्रकरण सूची

झॉसी न्यायालय में धारा –312 भारतीय दण्ड संहिता के विचाराधीन/निर्णीत प्रकरण।
न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झॉसी। मुकदमा नं0– 1574/2018 राज्य उ0प्र0 बनाम अमित योगी एवं अन्य। धारा– 312,313,314 भ0द0स0 थाना– कोतवाली जिला झॉसी। अपराध सं0– 469/2017 स्थिति मुकदमा– विचाराधीन।
न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झॉसी। मुकदमा नं0– 7942/2020 राज्य उ0प्र0 बनाम ऋतिक कुषवाहा एवं अन्य धारा– 498ए,323,504,506,312 भ0द0स0 थाना–कोतवाली। स्थिति मुकदमा– विचाराधीन।
न्यायालय श्रीमान् अपर सत्र न्यायाधीष कक्ष सं0– 9/पोक्सो अधिनियम झॉसी। सत्र परीक्षण सं0– 199/2019 राज्य उ0प्र0 बनाम अजय राजपूत धारा– 376,313,506 भ0द0स0 थाना–नवाबाद। जिला झॉसी अपराध सं0– 197/2019 स्थिति मुकदमा– विचाराधीन।
झॉसी न्यायालय में धारा –313 भारतीय दण्ड संहिता के विचाराधीन/निर्णीत प्रकरण।
न्यायालय श्रीमान् अपर सत्र न्यायाधीष कक्ष सं0– 9/पोक्सो अधिनियम झॉसी। सत्र परीक्षण सं0– 73/2019 राज्य उ0प्र0 बनाम पीयूश उर्फ अमन मौर्य धारा– 366,376,313,506 भ0द0स0 थाना–सीपरी बाजार। जिला झॉसी अपराध सं0– 358/2018 स्थिति मुकदमा– विचाराधीन।

[3] https://zeenews.india.com
[4] News paper amar ujala dated-18/08/2021
[5] https://zeenews.india.com

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीष कक्ष सं0–8 झाँसी। सत्र परीक्षण नं0– 513/2018 राज्य उ0प्र0 बनाम ग्याप्रसाद उर्फ कल्ला। धारा–376,120बी,506,313 भ0द0स0 व 10/11 बालको का लैंगिक संरक्षण अधिनियम थाना–सीपरीबाजार । अपराध सं0– 410/2017 स्थिति मुकदमा– निस्तारित दिनॉक 03/01/2019।
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीष कक्ष सं0–7 झाँसी। सत्र परीक्षण नं0– 37/2017 कुमारी रेखा बनाम सौरभ एवं अन्य। धारा–376,506,313 भ0द0स0 व 6पोक्सो अधिनियम स्थिति मुकदमा– निस्तारित दिनॉक 30/04/2017।
झाँसी न्यायालय में धारा –314 भारतीय दण्ड संहिता के विचाराधीन/निर्णीत प्रकरण।
न्यायालय श्रीमान् स्पे0जज (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट) झाँसी। स्पे0ट्रा0 नं0– 217/2020 राज्य उ0प्र0 बनाम अक्षय मिश्रा उर्फ षुभम आदि धारा– 314,304 भ0द0स0 व 3(2)5 एस.सी./एस.टी.एक्ट थाना– नवाबाद मु0अ0स0– 06/2020 (वर्तमान स्थिति विचाराधीन)।
न्यायालय श्रीमान् अपर सत्र न्यायाधीष/एफ0टी0सी0 झाँसी। स्पे0ट्रा0 नं0– 14/2020 राज्य उ0प्र0 बनाम विकास बाथम धारा– 498ए,314,304बी भ0द0स0 व 3/4 डी.पी.एक्ट थाना– एरच मु0अ0स0– 149/2019 (वर्तमान स्थिति विचाराधीन)।
न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाँसी। मुकदमा नं0– 58/2017 मुन्ना बनाम बृजकिषोर धारा– 304बी,314,498ए भ0द0स0 (वर्तमान स्थिति निस्तारित दिनॉक–23/05/2017)।
न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाँसी। जमानत प्रार्थना पत्र सं0– 946/2019 राज्य उ0प्र0 बनाम सुरेन्द्र सिंह धारा– 302,314 भ0द0स0 थाना– नवाबाद (वर्तमान स्थिति निस्तारित दिनॉक– 26/07/2019)।
झाँसी न्यायालय में धारा –315 भारतीय दण्ड संहिता के विचाराधीन/निर्णीत प्रकरण।
न्यायालय श्रीमान् अपर सत्र न्यायाधीष/एफ.टी.सी. झाँसी। स्पे0ट्रा0 नं0– 769/2020 राज्य उ0प्र0 बनाम परमानन्द कुषवाहा आदि धारा– 315,376,420,323,504,506 भ0द0स0 थाना– कोतवाली मु0अ0स0– 698/2019 (वर्तमान स्थिति विचाराधीन)।
न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाँसी। मुकदमा नं0– 1131/2019 इमरान अली बनाम अमन अहमद धारा– 315,511,504,506,120बी भ0द0स0 थाना– कोतवाली (वर्तमान स्थिति विचाराधीन)।
न्यायालय श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम झाँसी। मुकदमा नं0– 1207/2014 राज्य उ0प्र0 बनाम अब्दुल कुरैषी धारा– 315 भ0द0स0 थाना– नवाबाद मु0अ0स0– 561/2009 (वर्तमान स्थिति विचाराधीन)।
न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाँसी। कि0 मिस0 नं0–

662/2019 भगवति बनाम परमानंद कुषवाहा आदि धारा– 376,323,504,506,420,315 भ0द0स0 थाना– कोतवाली (वर्तमान स्थिति निर्णीत दिनॉक– 03/10/2019)।
न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झॉसी। मुकदमा नं0– 980/2018 षषि यादव बनाम उपेन्द्र यादव आदि धारा– 452,323,504,506,498ए,315 भ0द0स0 व 3/4 द.प्र. अधिनियम थाना– नवाबाद (वर्तमान स्थिति निर्णीत दिनॉक– 16/10/2018)।
झॉसी न्यायालय में धारा –316 भारतीय दण्ड संहिता के विचाराधीन/निर्णीत प्रकरण।
न्यायालय श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0– 2 झॉसी। क्रिम0 मिस0 नं0– 1042/2019 रष्मि बनाम मूलचन्द्र वर्मा धारा– 420,316,376,468,471,323,54,506 भ0द0स0 (वर्तमान स्थिति विचाराधीन)।
न्यायालय श्रीमान् सिविल जज (सी0डि0)/एफ0टी0सी0 झॉसी। एफ0आर0 नं0– 731/2017 गुलाब लोधी बनाम हरिषंकर लोधी धारा– 323,504,316 भ0द0स0 थाना– षाहजहॉपुर मु0अ0स0–126/2017 (वर्तमान स्थिति विचाराधीन)।
न्यायालय श्रीमान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम झॉसी। परिवाद सं0– 1039/2017 श्रीमती षिखा यादव बनाम इन्द्रजीत सिंह गौतम धारा– 376, 504,506,316 भ0द0स0 (वर्तमान स्थिति निर्णीत दिनॉक– 25/08/2018)।
न्यायालय श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम झॉसी। मुकदमा सं0– 79/2020 राज्य उ0प्र0 बनाम मनीशा श्रीवास्तव आदि धारा– 314,404,304ए,316 भ0द0स0 थाना–कोतवाली मु0अ0स0– 646/2019 (वर्तमान स्थिति निर्णीत दिनॉक– 08/02/2020)।

गर्भपात का अधिकार

भारत में गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 के अनुसार गर्भपात का अधिकार कुछ निम्नलिखित षर्तो के अनुसार दिया गया हैः–

- एक महिला को पूर्ण रूप से स्वस्थ्य मस्तिश्क वाला होना चाहिए जो अपना भला बुरा सोचने व समझने मे पूर्णतः सक्षम हो।
- वह वयस्क होनी चाहिए।
- उसे कोई ऐसी षारीरिक समस्या होनी चाहिए जिस वजह से उसे गर्भपात कराना आवष्यक हो।
- सरकार द्वारा पंजीकृत चिकित्सक द्वारा महिला की गर्भ की स्थिति देखकर उसे गर्भपात कराने की सलाह दी हो।
- किसी नाबालिक लड़की के परिजनो को यह अधिकार प्रदान किया गया हैं कि वह अपनी पुत्री के गर्भधारण से जुड़ी षारीरिक समस्या का आभाव होने पर उसका गर्भपात करवा सकते हैं।
- बलात्कार के कारण आये हुऐ गर्भ को पीड़ता गर्भपात करवा सकती हैं।[6]

[6] गर्भ चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971

न्यायिक सहमति

भारत में गर्भपात समाप्ति कानून के अन्तर्गत सरकार द्वारा गर्भपात की सहमति का अधिकार व दायित्व निम्नलिखित लोगो को प्रदान किया गया हैः–

- सर्व प्रथम गर्भवती महिला को स्वयं।
- यदि महिला मानसिक अस्वस्थ्य है तो उसके अभिभावक।
- भारतीय चिकित्सा परिशद अधिनियम 1956(1956 का 102) की धारा 2 के खंण्ड (ज) में यथा परिभाशित मान्यता प्राप्त अर्हता रखता हैं तथा जिसका नाम राज्य चिकित्सक रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया हैं।[7]
- 12 सप्ताह के गर्भ को गर्भपात करने के लिए एक पंजीकृत चिकित्सक की राय जो राज्य चिकित्सक रजिस्टर में दर्ज दस्तावेजो में पंजीकृत हो।
- 12–20 सप्ताह के गर्भ को गर्भपात करने के लिए दो पंजीकृत चिकित्सको की राय जो राज्य चिकित्सक रजिस्टर में दर्ज दस्तावेजो में पंजीकृत हो।[8]

अजन्मे बच्चे की स्थिति

गर्भ में पल रहें बच्चे की स्थिति अर्थात् अजन्मे बच्चे की स्थिति का पता होना बहुत आवष्यक हैं। भ्रूण की स्थिति को देखकर ही एक डॉक्टर गर्भपात कराने की सलाह दे सकता हैं।[9] गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 की (2) उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन यह कहा गया हैः– जहॉ एक अजन्मे बच्चे की स्थिति 12 सप्ताह की है वहां गर्भपात एक पंजीकृत चिकित्सक जो राज्य चिकित्सक रजिस्टर में दर्ज दस्तावेजो में पंजीकृत हो की राय लेकर कराया जा सकता हैं।, जहॉ एक अजन्में बच्चे की स्थिति 12–20 सप्ताह की है वहां गर्भपात किन्ही दो पंजीकृत चिकित्सको जो राज्य चिकित्सक रजिस्टर में दर्ज दस्तावेजो में पंजीकृत हो, की राय लेकर कराया जा सकता हैं।, यदि गर्भ में पल रहा बच्चा किसी रोग से ग्रसित हो जिस कारण उसकी माता की जान को भी खतरा हो सकता हैं ऐसी स्थिति में गर्भपात किया जा सकता हैं।, यदि गर्भ में पल रहे बच्चे को कुछ ऐसी बीमारी के लक्षण दिख रहें हो जिससे वह षारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हो सकता हैं तो ऐसी स्थिति में गर्भपात किया जा सकता हैं।[10]

अविवाहिता के लिए गर्भपात संबंधी न्यायिक प्रावधान

आज भी महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाओं के प्रकरण ज्यादातर देखने को मिलते हैं जिसमें ज्यादातर महिलांऐ अविवाहित होती हैं जिनके साथ ऐसी घटना के बाद गर्भ ठहर जाता हैं तथा जिस कारण ऐसी पीड़ित महिलाओं को गर्भपात के द्वारा गर्भ समाप्त कराने का फैसला लेना पडता हैं। ऐसे ही प्रेम प्रसंग में लिप्त अविवाहित महिलांऐ जो कि षादी के पूर्व ही प्रेम प्रसंग के कारण संभोग करती हैं तथा अनचाहा गर्भधारण कर लेती हैं और समाज तथा नातेदारो की नजरो में षर्म का पात्र बनने से बचने के लिए गर्भपात कराना आवष्यक हो जाता है। इस प्रकार से गर्भधारण करने वाली महिला को गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 में समय सीमा के अन्दर गर्भपात कराने का अधिकार प्रदान किया गया है। बादहू किसी कारण से अधिनियम की षर्तो का पालन न होने पर न्यायालय से विषेश विधिक कारण साबित करके गर्भपात की सहमति प्राप्त की जा सकती है।

[7] भारतीय चिकित्सा परिशद अधिनियम 1956(1956 का 102)
[8] गर्भ चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971
[9] गर्भ चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971
[10] गर्भ चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971

गर्भपात करना कब सुरक्षित रहता हैं

ऐसा गर्भपात जो एक अनुभवी डॉक्टर की देख रेख में किया गया हो तथा ऐसा गर्भपात जो अंतिम महावरी की तिथि के 3 माह **" 12 सप्ताह "** में किया गया हैं आदि और भी अन्य कारणो से एक सुरक्षित गर्भपात कराया जा सकता हैं जिसे वैधानिक समझा गया हैं।[11]

गैर कानूनी गर्भपात

कानून द्वारा निर्धारित परिसीमाओं से बाहर किया गया गर्भपात गैर कानूनी माना जाता हैं। अगर गर्भपात कानूनी रूप से नहीं किया गया हैं तो गर्भपात करने वाली महिला तथा गर्भपात कराने वाले दोनो को ही गिरफ्तार किया जा सकता हैं। अधिकतर गैरकानूनी गर्भपात छुपाकर कर दिया जाता हैं। जिसकी भनक प्रषासन को नहीं लग पाती हैं, जो कि आज आम बात हो गयी हैं। लेकिन ऐसा गर्भपात कानूनी रूप से वैध नही माना जाता हैं। ऐसे गर्भपात के समय कभी कभी असुरक्षिता की सम्भावना भी पैदा हो जाती हैं। जिस कारण महिला को षारीरिक अस्वस्थ्यता का भी सामना करना पड जाता हैं। तथा कुछ महिलांऐ मौत का षिकार हो जाती हैं। भारतीय दंण्ड सहिंता की **धारा– 312 में गर्भपात कारित करने के लिए दंण्ड, धारा– 313 स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करने लिए दंण्ड, धारा– 314 में गर्भपात कारित करने के आषय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु व धारा– 315 में षिषु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित करने के लिए दंण्ड का प्रावधान दिया गया हैं।**[12]

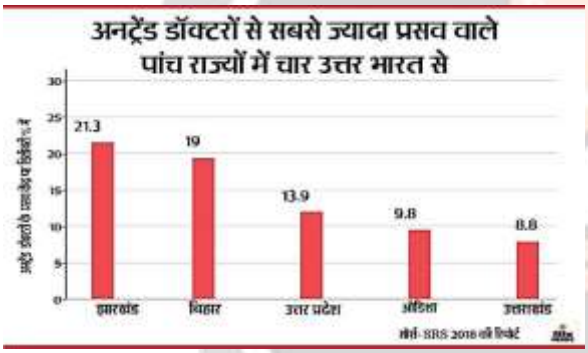

निश्कर्श

सरकार और न्यायालय द्वारा लिए जा रहे गर्भपात संबंधी फैसलो से महिलाओं को समय–समय नए–नए विधिक लाभ प्राप्त हो रहे है। जिससे संविधानिक अधिकारो की पूर्ति करने में न्यायिक सक्रियता की एक महत्वपूर्ण भूमिका साबित हो रही है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

पुस्तके / अधिनियमः–

- गर्भपात चिकित्सीय समापन(निवारण) कानून 1971
- भारतीय चिकित्सा परिशद अधिनियम 1956(1956 का 102)
- भारतीय दंण्ड संहिता 1860 (एस0एन0मिश्रा)
- भारतीय संविधान (डॉ0 मुरलीधर चतुर्वेदी)

प्रकरणः–

[11] गर्भ चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971
[12] भारतीय दंण्ड संहिता 1860 (एस0एन0मिश्रा)

- मा0 सर्वोच्च न्यायालय से निस्तारित प्रकरण।
- मा0 उच्च न्यायालय से निस्तारित प्रकरण।
- झाँसी न्यायालय में विचारधीन व निस्तारित प्रकरण।

समाचार प्रत्रः–

- समाचार पत्र अमर उजाला दिनाँक 18/08/2021

वेवसाईट्सः–

- https://hi.m.wikipedia.com
- https://zeenews.india.com